फारम संख्या 562

ार्यालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

पक्ष

घमरू महतो ....प्रथम पक्ष

बनाम

महादेव महतो वगै० ....द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० ....से ....तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ......100......सन् 2022

धारा 144 द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक घमरू महतो पिता स्व0 वकील महतो, साकिन–खेतको के आवेदन का अवलोकन किया। आवेदक के आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा–खेतको, खाता नं0–102, प्लॉट नं0–1720, रकवा–20 डी0 भूमि में दखल–कब्जा को लेकर विवाद है। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करें कि क्यों नहीं प्रश्नागत भूमि पर निषेद्याज्ञा लागू कर दी जाये। इस सम्बन्ध में अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी से भी प्रतिवेदन माँगे। अभिलेख दिनांक 10/09/22 को रखें। 26/08/22 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया	

श की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
16/9/22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनु०। To 22/09/22 16/09/22	
22/9/22	उभय पक्ष अनुपस्थित। वीडियो पक्ष० अन्य कार्य में व्यस्त। अभिलेख, दिनांक 6.10.22 को रखें। 22/9/22	
6.10.22	उभय पक्ष अनु० अभिलेख, दिनांक 20.10.22 को रखें।	
20.10.22	प्रथम पक्ष उप०, द्वितीय पक्ष अनु० ~~अभिलेख, दिनांक 3.11.22 को रखें।~~ प्रथम पक्ष की ओर से जवाब दा० किया। To 22/x/22 29/x/22	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
22/x/22	आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। वाद की भूमि प्रथम पक्ष को निबंधित केवाला के माध्यम से प्राप्त है। उक्त केवाला दुल्लु महतो एवं डेगीलाल महतो द्वारा वर्ष 2014 में प्रथम पक्ष के हित में निष्पादित किया गया था। जमीन खरीदगी के पश्चात् प्रथम पक्ष के द्वारा नामांतरण करवा कर मालगुजारी रसीद हासिल किया गया था। प्रथम पक्ष ने अपने उक्त दावे के सम्बन्ध में निबंधित विक्रय-पत्र की छाया प्रति एवं [illegible] लगान रसीद दिनांक -13/3/16 की छाया प्रति दाखिल किया गया है। प्रथम पक्ष का आरोप कहना है कि द्वितीय पक्ष के सहयोगगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर प्रथम पक्ष के सदस्यों को खेती कार्य करने से बाधित किया गया है। उभय को कारण पृच्छा की मांग की गई। विपक्षी	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	द्वारा कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया और न ही मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा गया। प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित कारण पृच्छा दाखिल किया गया तथा मौखिक रूप से भी अपना पक्ष रखा गया। प्रथम पक्ष द्वारा विक्रेता के घरेया बँटवारा के अनुसार जमीन का क्रय किया गया है लेकिन द्वितीय पक्ष नया बँटवारा के अनुसार जमीन पर काबिज होना चाहते हैं जो इस विवाद का मूल कारण है। स्पष्टया यह विवाद आपसी बँटवारे से सम्बन्धित है, अतः उभय पक्ष को निदेश दिया जाता है कि सक्षम न्यायालय में अपना पक्ष रख कर विवाद का समाधान करायें। चूंकि जमीन की बिक्री प्रथम पक्ष के हित में हो चुकी है तथा लगान रसीद [illegible] अतः नियमानुसार प्रथम पक्ष के हित में दखल घोषित किया जाता है तथा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निरोध घोषित किया जाता है। वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.11.03 17:13:08 +05:30
Location: 192.168.1.7